हमेशा हिंदी में पत्र व्यवहार करके देश का गौरव बढ़ायें, इस कार्यालय में हिंदी में प्राप्त पत्रों का स्वागत हैं"

ई-मेल का पता
olgc-ppqs@gov.in

टेलीफोन/Telephone: 0129-2476333

पत्र सं./No. ई.12013/1/2021- राजभाषा

भारत सरकार/Government of India
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
(Department of Agriculture & Farmers Welfare)
वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय
DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION, QUARANTINE & STORAGE
एन.एच. 4, फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 001
N.H. IV, FARIDABAD (HARYANA) – 121 001

दिनांक/Dated: 10 सितम्बर, 2024

परिपत्र

जैसाकि विदित है कि केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में प्रति वर्ष 14 सितम्बर का दिन हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हिंदी में काम करने का वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी निदेशालय (मु.), फरीदाबाद में दिनांक 14.09.2024 से 28.09.2024 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है।

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेश दिया जाता है कि वे न केवल हिन्दी पखवाड़े के दौरान अपितु पूरे वर्ष अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिन्दी में करें और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें :-

(क) अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन:-

1. सामान्यत: आपसी बातचीत, अभिवादन आदि हिन्दी में ही किए जाएं तथा बैठकों आदि में भी चर्चा यथासंभव अधिक से अधिक हिन्दी में ही की जाए।
2. फाइलों पर हस्ताक्षर हिन्दी में ही किए जाएं।
3. ज्यादा से ज्यादा टिप्पणियां आदि हिन्दी में ही लिखी जाएं। यदि कोई फाइल अंग्रेजी टिप्पणी के साथ प्राप्त हो तो उस पर भी अनुमोदन/टिप्पणी आदि यथासंभव हिंदी में ही लिखी जाएं।
4. नोटिंग आदि के मामले में सरल भाषा का ही प्रयोग किया जाए ताकि हिंदी का कम ज्ञान रखने वालों को भी उसे समझने में असुविधा न हो।
5. यदि कोई निजी सचिव, निजी सहायक आदि हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित हैं तो "हिन्दी पखवाड़े" के दौरान उन्हें डिक्टेशन कृपया हिन्दी में दी जाए।
6. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के मसौदे मूल रूप से हिन्दी में तैयार किया जाएं।
7. हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों द्वारा हिंदीतर सहकर्मियों की हिंदी के प्रयोग करने में सहायता की जाए तथा हिन्दी के प्रयोग के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने का प्रयास किया जाए।

अनुभागों/प्रभागों/एककों के प्रभारियों के लिए मार्गदर्शन:-

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत द्विभाषी रूप में जारी किए जाने वाले कागजातों का रख-रखाव अलग से किया जाए।
2. पखवाड़े के दौरान यह देख लिया जाए कि अनुभाग में सभी नामपट्ट/सूचना-पट्ट तथा रबड़ की मोहरें और स्टेशनरी की अन्य मदें जैसे कि पत्र शीर्ष, फाइल कवर एवं फाइलों पर विषय आदि द्विभाषी ही हों जिनमें नियमानुसार हिन्दी ऊपर और अंग्रेजी नीचे हो तथा हिन्दी के अक्षर अंग्रेजी अक्षरों की तुलना में बड़े हों। जो नामपट्ट/सूचना-पट्ट तथा रबड़ की मोहरें आदि इस प्रकार न हों उनके संबंध में तुरंत एक नोट कार्यालय प्रबंधन अनुभाग को भेज दिया जाए और उसकी प्रति हिन्दी अनुभाग को भी पृष्ठांकित की जाए।
3. यह भी देख लिया जाए कि अनुभाग/प्रभाग में उपलब्ध सभी कम्प्यूटरों में द्विभाषी रूप में/यूनिकोड पर काम करने की सुविधा उपलब्ध हो।

जारी/-........................

4. अनुभागों/प्रभागों के जो कर्मचारी हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि का प्रशिक्षण ले चुके हैं उनसे पखवाड़े के दौरान प्रतिदिन हिन्दी टंकण/आशुलिपि का थोड़ा बहुत अभ्यास अवश्य करावाया जाए और उनकी सेवाओं का उपयोग यथासंभव हिन्दी कार्य करने के लिए किया जाए।
5. प्रत्येक अनुभाग द्वारा मानक फार्मों/मसौदों की एक गार्ड फाइल बना ली जाए ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन फार्मों/मसौदों को द्विभाषिक रूप में पुन: तैयार किया जा सके।
6. जो अधिकारी/कर्मचारी "हिन्दी कार्यशाला" में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनसे पखवाड़े के दौरान अधिक से अधिक काम हिन्दी में ही करवाया जाए।
7. जो अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी संबंधी किसी भी परीक्षा/प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं उनसे भी पखवाड़े के दौरान अधिक से अधिक काम हिन्दी में ही करवाया जाए।
8. कृपया यह ध्यान रखा जा कि भारत सरकार की नीति के अनुसार राजभाषा हिन्दी का प्रयोग प्रेरणा और प्रोत्साहन द्वारा बढ़ाया जाना है परन्तु साथ ही राजभाषा नियमों एवं अन्य आदेशों का अनुपालन भी दृढ़तापूर्वक करवाया जाना है। अत: हिन्दी पखवाड़े के दौरान सभी अनुभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस प्रकार प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए जिससे वे सदभावना एवं उत्साह के साथ राजभाषा हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें।
9. "हिन्दी पखवाड़े" के दौरान सभी अनुभाग/प्रभाग/एकक राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु जारी किए गए वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम के आलोक में स्थिति का मूल्यांकन करें और जो-जो कमियां पाई जाएं, उन्हें दूर करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

हिन्दी के प्रयोग में गति लाने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग अपेक्षित है। यदि हिंदी में कार्य करने में कोई असुविधा हो तो राजभाषा अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है।

(डॉ. जे.पी. सिंह)
वनस्पति संरक्षण सलाहकार

प्रेषितः- 1. निदेशालय (मु.) के सभी अधिकारी/कर्मचारी ।
2. निदेशालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी।
3. प्रभारी आई.टी. सेल को इस परिपत्र को निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।